

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी- 224

दिनांक: 2/8/2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की
बैठक 27.वी दिनांक 24-7-2002 का कार्यवाही
विवरण।

महोदय,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं० 27.
दिनांक 27-7-2002 प्रातः/सायं. 11:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय
की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया
जा रहा है।

भवदीय


सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगरीय विकास मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
3. श्री अशोक तंवर, विधायक
4. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
5. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
8. निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
9. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा, जयपुर।
10. वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
11. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
12. उपायुक्त, जोन....., जविप्रा, जयपुर।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।


सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की 27वीं बैठक दिनांक 24-7-2002 को संपन्न हुई जिसमें निम्न प्रकरणों पर भी विचार किया गया:-

- (1) विषय :- निजी खातेदार की योजना अल्पना कॉलोनी विस्तार के संबंध में।

उपायुक्त जोन बी-7 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर निम्नांकित निर्णय लिया गया-

1. जोन के 30' चौड़ी रोड को 15' किये जाने के प्रस्ताव को निरस्त किया गया ।

- (2) विषय :- शंकर भवन की योजना सहकार नगर बी व सी के संबंध में।

उपायुक्त जोन बी-7 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर निम्नांकित निर्णय लिया गया-

1. जोन के 30' चौड़ी रोड को 15' किये जाने के प्रस्ताव को निरस्त किया गया ।

- (3) विषय :- तोपखाना देश गृ.नि.स.स. की योजना रामेश्वरधाम के संबंध में।

उपायुक्त जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर निम्नांकित निर्णय लिये गये-

1. योजना में अनुमोदित 130' सडक के आर.ओ.डब्ल्यू. के उपरान्त दर्शाये गये व्यावसायिक भूखण्डों से 10 फिट चौड़ी भू-पट्टी पार्किंग के लिए रखते व्यावसायिक भूखण्डों को अनुमोदित किया जावे।
2. भूखण्ड संख्या 171 से 130 फिट चौड़ी सडक उपलब्ध नहीं हो पाती है। अतः इस 130 फिट चौड़ी सडक को भूखण्ड सं0 171 के समीप से (उत्तर की ओर से) आगे 60 फिट की चौड़ाई रखने का निर्णय लिया गया। दक्षिण दिशा में 60 फिट चौड़ी सडक उपलब्ध है तथा प्रस्तावित 60 फिट चौड़ी सडक के उत्तरी दिशा में तीन चार भूखण्डों के उपरान्त 30 फिट चौड़ी सडक उपलब्ध है अतः मौके की स्थिति के अनुसार इस भाग में सडक की चौड़ाई 130 फिट के स्थान पर 60 फिट रखा जाना अनुमोदित किया जावे। प्रस्तावित



सडक का एलायन्मेंट जोन स्तर पर मौके की स्थिति के अनुसार निश्चित कर लिया जाये।

3. योजना से गुजर रही 100' चौड़ी सैक्टर रोड को मौके की स्थिति के आधार पर 60' अनुमोदित किया गया।

- (4) विषय :- सीकर रोड को पथ नं.7 से होती हुई मुरलीपुरा योजना को जोड़ने वाली 80' सैक्टर रोड की चौड़ाई मौके के अनुसार कम करने बाबत।

उपायुक्त जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर निम्नांकित निर्णय लिया गया-

1. जोन द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि 80' चौड़ी रोड को 60' किया जाये। इस बाबत यह तय किया गया कि इस रोड का पी.टी. सर्वे किया जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

- (5) विषय:- पथ नंबर 7 विजयबाडी योजना से 60 फिट सैक्टर रोड बन्धु — नगर को जोड़ने वाली सडक को कम करने बाबत।

उपायुक्त जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर निम्नांकित निर्णय लिया गया-

1. उक्त रोड को मौके की स्थिति के आधार पर 60 फिट से 40फिट अनुमोदित किया गया।

- (6) विषय:- गुलाव बाडी गृ.नि.स.स. की योजना बृजमण्डल के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन बी-7 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. समिति द्वारा प्रस्तावित पार्क के बीच में से 30' की रोड अनुमोदित की गयी है क्योंकि यह रोड पास में लगती हुयी योजना को मिलाती है।
2. पार्क एवं भूखण्ड संख्या 110,111,112 के उत्तर में प्रस्तावित 30' रोड को 40' अनुमोदित किया गया ।
3. भूखण्ड संख्या 186 से 220, 159 से 161 को पी.आर.एन. में होने के कारण अनुमोदित नहीं किये गये।

- (7) विषय :-पहाडगंज गृ.नि.स.स. की योजना कृष्ण विहार के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन सी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि इकरारनामे के अनुसार स्वामित्व 2/5 हिस्से पर ही है एवं हिस्सा भी अविभाजित है अतः योजना को निरस्त किया जावे।

- (8) विषय:- पहाडगंज गृ.नि.स.स. की योजना गोविन्द विहार एवं ब्लॉक 'ए' के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन सी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि इकरारनामे के अनुसार स्वामित्व 1/2 हिस्से पर ही है एवं हिस्सा भी अविभाजित है अतः योजना को निरस्त किया जावे।

- (9) विषय :-हथरोई गढी गृ.नि.स.स. की योजना कृष्णा कॉलोनी के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन सी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना का काफी भाग हाइवे कन्ट्रोल बेल्ट से प्रभावित है एवं कुछ भूखण्ड 33 के.वी. एच.टी. लाईन से प्रभावित है अतः योजना को निरस्त किया जावे।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...27वीं...बैठक दिनांक...24-7-02
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर जोन B-2 :

विषय:- नवजीवन ग.नि.स.स. की योजना गोपालपुरा "बी"
के भू.सं. 66 का अनुमोदित करने के संबंध में ।

वरिष्ठ नगर नियोजक प्रोजेक्ट द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । भवन मानचित्र समिति की बैठक क्रमांक 25/2001 दिनांक 13-9-2001 में इस योजना से लगती हुई रूपनगर प्रथम योजना के उत्तर दक्षिण की सड़कों को जोड़ने हेतु भू.सं. 66 में से 30-0" चौड़ी रोड़ लिक देते हुए भू.सं. 66 के शेष क्षेत्र को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था । आवेदक ने इस निर्णय के पश्चात् एक प्रतिवेदन व मौके की स्थिति के फोटो प्रस्तुत किये जिसमें उसमें बताया कि दोनों सड़कों को लेवल में करीब 5-0" का अन्तर है जिससे इन सड़कों को जोड़ा जाना उचित नहीं है । इस संबंध में प्रकरण को भवन मानचित्र समिति की बैठक क्रमांक 25वीं दिनांक 10.7.02 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था जिसमें समिति के सदस्यों द्वारा मौका निरीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया था समिति के सदस्यों द्वारा मौका निरीक्षण करने के पश्चात् प्रकरण को इस बैठक में विचारार्थ रखा गया । समिति के सदस्यों ने पाया कि मौके पर वास्तव में करीब 5-0" से दोनो सड़कों के लेवल में अन्तर है इसलिए विचार-विमर्श पश्चात् इन दोनो सड़कों को लिक न करने एवं भू.सं. 66 को स्वीकृत कर नियमन करने का निर्णय लिया गया ।

ब्रीपीसी(ले-आउट प्लान)की...27वीं... बैठक दिनांक... 24-7-02
का कार्यवाही विवरण।

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | दी कृष्णा का-ओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी |
| 2. | योजना का नाम | गोविन्दपुरी ए, बी, सी, डी, ई |
| 3. | ग्राम का नाम व खसरा नं० | सोडाला उ० नं० 106, 107, 108, 109, 192, 197, 198, 199, 200, स्वेज फार्म |
| 4. | सेक्टर नंबर | उ० नं० 58, 59, 60, 61 |

विषय: दो कृष्णा को.ओ.हाउसिंग सोसायटी की योजना गोविन्दपुरी एबीसीडी ई के अनुमोदन के संबंध में।

वरिष्ठ नगर नियोजक {प्रोजेक्ट} द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। इस योजना को भूमि अवाप्ती में है। दी कृष्णा को.ओपरेटिव हा. सोसायटी के खिलाफ अवाप्त भूमि में पट्टे काटने पर महेश नगर थाने में एफ.आई.आर दर्ज करवाई हुई है। इसलिए इस भूमि के संबंध में निर्णय होने के पश्चात् ही नियमन की कार्यवाही की जावे। योजना को तकनीकी दृष्टि से निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :-

- 1- दक्षिण दिशा में भू.सं. डी-3 से डी-13 तक सेक्टर रोड को 60-0" एव.टो.लाईन को सेक्टर मानते हुए योजना मानचित्र के अनुसार किया जावे।
- 2- भू.सं. 29, 30, 30ए से लगती हुई सड़क मौके पर 30-0" है इसे सेक्टर प्लान के अनुसार 40-0." को जावे। 5'-5' चौड़ी भू-पट्टी सड़क के दोनों ओर के भूखंडों से ली जावे।
- 3- भू.सं. सी-12 से सी-19 से लगती हुई सड़क मौके पर 30-0" है जिसे सेक्टर प्लान के अनुसार 40-0" चौड़ी को जावे। 5'-5' चौड़ी भू-पट्टी सड़क के दोनों ओर के भूखंडों से ली जावे।
- 4- भू.सं. बी-1 से बी-19 से लगती हुई सड़क मौके पर 30-0" है जबकि सेक्टर प्लान में इस सड़क को चौड़ाई 60-0" है दोनों



साइडो में भूखंड निर्मित है इसलिए मौके की स्थिति को देखते हुए इस सड़क को चौड़ाई 40-0" को जावे ।

- 5- योजना के मध्य में से गुजरने वाली सेक्टर रोड की चौड़ाई 60-0" है किन्तु एच.टी. लाइन के दोनों ओर 50'-50' को दूरी पर नियमानुसार आवासीय भूखंडों का नियमन नहीं किया जा सकता । इसलिए एच.टी. लाइन के दोनों ओर 50'-50' को दूरी में आने वाले भूखंडों को स्वीकृत नहीं किया जावे । भू.सं. ए-10बी से सी-19ए व भू.सं. सी-35 से ए-43 के मध्य सड़क को चौड़ाई जो मौके पर उपलब्ध है वही रखी जाए व भू.सं. सी-26 से ओ-14 चूँकि एक ही लाइन में है । अतः सड़क को चौड़ाई 80-0" रखते हुए केवल भू.सं. सी-29 से डो-27 में से ही सड़क हेतु भू-पट्टी ली जाए ।
- 6- योजना में 30-0" से कम चौड़ी सभी सड़कों को चौड़ाई 30-0" को जावे व दोनों ओर के भूखंडों से बराबर भू-पट्टी ली जाए ।
- 7- भू.सं. सी-29, सी-29ए, डो-46बी तथा इ-1 व इ-19 में से हाईटेंशन लाइन गुजरती है इसलिए इन भूखंडों को अस्वीकृत किया जावे ।
- 8- भू.सं. डो-27 व 28 से लगती हुई 30-0" रोड पर मौके पर भूखंड निर्मित है इसलिए इस भूखंड को अस्वीकृत किया जावे ।
- 9- भू.सं. इ-44 व 45 से लगती हुई दुकानों को अस्वीकृत किया जावे ।
- 10- योजना में अधिकतम आवासीय क्षेत्रफल 60% अनुज्ञेय है किन्तु मौके की स्थिति के अनुसार आवासीय क्षेत्रफल 69.88% है योजना में कुल 407 भूखंड है तथा 348 भूखंड निर्मित है इसलिए सुविधा क्षेत्र उपलब्ध करवाना संभव नहीं होने के कारण राज्य सरकार के आदेशानुसार शिथिलता प्रदान करते हुए अधिक आवासीय क्षेत्रफल को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।
- 11- योजना में भू.सं. डो-47 से सी-31 के मध्य समिति द्वारा दर्शायी गई सड़क पर बिना नम्बर का निर्मित भूखंड है इसको अस्वीकृत किया जावे ।
- 12- योजना में भू.सं. डो-61 के पास खातेदार का भूखंड है इसलिए इस खातेदार की भूमि के स्वामित्व के संबंध में जांच कर नियमन किया जावे । योजना में इस भूखंड को दर्शाया जावे ।
- 13- योजना में भू.सं. डो-26बी व इ-5 पर मौके पर मन्दिर है इन्हे सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे ।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 27वीं बैठक दिनांक 24-7-02

का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : अम्बेश्वर गृ.नि.स.स.
2. योजना का नाम : नन्दपुरी एफ.जी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : सोडाला उ.नं० 81/186, 81/187,
4. सैक्टर नंबर : 81/188, 81/189, 79, 80, 81

विषय:- स्वेज पार्क में स्थित अम्बेश्वर गृ.नि.स.स. को योजना नन्दपुरी एफ.जी के अनुमोदन के संबंध में।

वरिष्ठ नगर नियोजक प्रोजेक्ट द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। इस योजना को भूमि सेक्टर पार्ट प्रथम सो को अवाप्ती में है। ख.नं. 76 से 78 का कब्जा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17-11-2000 को लिया गया है तथा अवार्ड दिनांक 15-2-99 को जारी हुआ है। ख.नं. 79, 80, 81 व 81/186 से 81/189 का कब्जा जविप्रा द्वारा दिनांक 20-10-84 को लिया गया था इसका अवार्ड जारी नहीं हुआ है इसलिए मुआवजे का चैक नहीं बना है। इस भूमि को 90 बी नहीं हुई है। इसलिए इस भूमि के संबंध में निर्णय होने के पश्चात् ही नियमन को कार्यवाही को जावे। तकनीकी दृष्टि से निम्न शर्तों के अनुसार योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :-

- 1- योजना में भू.सं. एफ-18, एफ-19, एफ-33, एफ-34, एफ-35, एफ-55 के सामने को सेक्टर रोड; भू.सं. एफ-47, एफ-49, एफ-51, एफ-52, एफ-53, एफ-54, के सामने का सेक्टर रोड तथा भू.सं. जी-19 से जी-25 के सामने को तीनो रोडों को सेक्टर प्लान के अनुसार 40-0" को जावे।
- 2- भू.सं. एफ-2ए, एफ-1ए तथा प्रस्तावित दुकाने। से 40 के सामने को सड़क को चौड़ाई सेक्टर प्लान के अनुसार 60-0" चौड़ी सड़क योजना मानचित्र के अनुसार को जावे।
- 3- योजना में खातेदार को भूमि के स्वामित्व को जाव के पश्चात्



...2/-

ही नियमन किया जावे । योजना में भूखंड को स्वीकृत किया जावे ।

- 4- योजना के बाहर के भू.सं. एफ-2ए को योजना में शामिल नहीं किया जावे ।
- 5- भू.सं. एफ-13 व एफ-11 के पीछे के भूखंड जिसमें कुआ व मन्दिर है को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे । 9-0" चौड़ी सड़क को 10-0" किया जावे ।
- 6- सर्वे के दौरान कई भूखंडों को मिलाकर एक ही कम्पाउण्ड वॉल का निर्माण किया हुआ है इसलिए सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र के अनुसार मौके की स्थिति के योजना मानचित्र में दर्शाकर भूखंडों का नियमन किया जावे । सड़के सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र के अनुसार तथा कम से कम 30-0" चौड़ी रखी जावे ।
- 7- भू.सं. एफ-1ए तथा समिति द्वारा प्रस्तावित दुकानों के उत्तर को ओर की सड़क को चौड़ाई सेक्टर प्लान के अनुसार 60-0" योजना मानचित्र के अनुसार की जावे । तथा इस सड़क पर प्रस्तावित दुकानों को स्वीकृत नहीं किया जावे ।
- 8- योजना में आवासीय क्षेत्रफल अधिकतम 60% अनुमेष्य है किन्तु मौके की स्थिति के अनुसार 69.34% अनुमेष्य है इसलिए अधिकतम आवासीय क्षेत्रफल राज्य सरकार के आदेशानुसार शिथिलता प्रदान करते हुए स्वीकृत किया जावे ।



यीपीसी(ले-आउट प्लान)की.27.वी... बैठक दिनांक. 24-7-02
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : हरिनगर गृ.नि.स.स.
2. योजना का नाम : गोविन्दपुरी एच
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : सोडाला उ.नं० 84
4. सेक्टर नंबर : जी.डि.ए. 2

विषय:- हरिनगर गृ.नि.स.स. को योजना गोविन्दपुरी एच के अनुमोदन के संबंध में ।

वरिष्ठ नगर नियोजक प्रोजेक्ट द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । चूंकि यह योजना स्वेज फार्म में स्थित है, जो सेक्टर 1 पार्टली की अवाप्ती से भूमि का अवाई दिनांक 16-2-99 को जारी हुआ था । भूमि का कब्जा दिनांक 20-10-84 को लिया गया था । इस कारण इस भूमि को 90 बो नहीं हुई इसलिए इस भूमि के संबंध में जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक इस भूमि का नियमन नहीं किया जावे । योजना को तकनीकी दृष्टि से निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :-

- 1- योजना के भू.सं. 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, लो लाइण एरिया में है इसलिए इन भूखंडों को अस्वीकृत किया जावे ।
- 2- योजना में 30-0" से कम चौडो सड़को को चौडाई 30-0" की जावे व दोनों ओर के भूखंडों में से भू-पट्टी ली जाए ।
- 3- योजना के भू.सं. 5 से 7 व 17 से 23 के पूर्व की तरफ 40-0" चौडो सेक्टर रोड के संबंध में निर्णय पक्का नाले के निर्माण के समय लिया जावे ।
- 4- लो लाइण क्षेत्र के कारण जो भूखंड अस्वीकृत किए गये है उनके पश्चात् बचे शेष आवासीय क्षेत्र को स्वीकृत किया जावे ।



ब्रीपीसी(ले-आउट प्लान)की..27वीं.... बैठक दिनांक..24-7-02

का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम
2. योजना का नाम
3. ग्राम का नाम व खसरा नं०
4. सैक्टर नंबर जो 5 B 2

विषय: - न्यू पिंक सिटी गृ.नि.स.स. की योजना बरकत नगर
के भू.सं. 188 के जयपुर दिल्ली रेल्वे लाइन के मध्य में
90-0° के बाद शेष बचे भाग के अनुमोदन हेतु ।

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया
गया & एजेण्डा के साथ सैलमन मौके को रिपोर्ट का अवलोकन सदस्यों
द्वारा किया गया । मौके को स्थिति के अनुसार रेल्वे लाइन के केन्द्र
बिन्दु से भूखंड के मध्य 90-0° को दूरी छोड़ने के पश्चात् पर्याप्त भूखंड
का क्षेत्रफल शेष रहता है । इसलिए समिति ने विचार-विमर्श कर भू.सं.
188 को रेल्वे लाइन के केन्द्र बिन्दु से 90-0° को दूरी छोड़ने के
पश्चात् शेष भूखंड को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...27वीं... बैठक दिनांक...24-7-02

का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर जॉन B-4 :

विषय:- अनुमोदित योजना लक्ष्मी नगर में भू.सं. 119 को
120 में बदलने बाबत ।

वरिष्ठ नगर नियोजक प्रोजेक्ट द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । एजेण्डा के अनुसार स्वीकृत योजना मानचित्र में भू.सं. 119 दर्शाया है जबकि मालिक पर जो भूखंडधारो है उसके पास भू.सं. 120 के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज है, सदस्यता सूची में भू.सं. 119 का उल्लेख भी नहीं है, तथा भू.सं. 120 पर इसी भूखंडधारो का नाम दर्ज है । विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि उपायुक्त यह सुनिश्चित करे कि इस भूखंड का अन्य कोई भूखंडधारो नहीं है यह सुनिश्चित करने के पश्चात् भू.सं. 119 को 120 में बदलने की कार्यवाही करे ।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...27वीं...बैठक दिनांक...24-7-02

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- बजाज नगर ग.नि.स.स. की योजना अनौता कॉलोनी स्कीम नं. 18
ही में भू.सं. सो-1 से बो-बो-8 व भू.सं. सो-2 से ए-ए-7 के मध्य

1. खातदार/गृह निर्माण सहकारी गुजरने वाली सड़क के निर्णय के संबंध में ।
समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर जो A-1 :

वरिष्ठ नगर नियोजक प्रोजेक्ट द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । मिटिंग में कॉलोनी के प्रतिनिधियों को सुना गया विचार-विमर्श पश्चात् भू.सं. सो-1 से बो बो 8 व भू.सं. सो-2 से ए ए-7 के मध्य की सड़क को स्वीकृत योजना मानचित्र के अनुसार 20-0" हो रखे जाने का निर्णय लिया गया ।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की....27वीं बैठक दिनांक 24-7-02

का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम
2. योजना का नाम
3. ग्राम का नाम व खसरा नं०
4. सैक्टर नंबर जोन बी-5

विषय: भूखंड संख्या 2 प्रेम नगर 8 माधव नगर हो.को.सो.8
को अनुमोदित कर नियमन किये जाने के संबंध में।

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति के सदस्यों ने इस भूखंड का मौके का स्थल निरीक्षण किया गया। समिति के सदस्यों ने मौके पर प्राया कि आवेदक मौके पर रह रहा है तथा इस भूखंड पर आवासीय उपयोग ही हो रहा है योजना में इस भूखंड के पास के भूखंडों का उपयोग फेंकरी/गौदाम के उपयोग में हो रहा है। विचार-विमर्श पश्चात् भू.सं. 2 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त कर नियमन करने एवं इस भूखंड के सामने 40-0" चौड़ी सड़क स्विकृत करने का निर्णय लिया गया। दोनों साइडों के भूखंडों में से सड़क को चौड़ाई 40-0" करने हेतु समान भू-पट्टी ली जावे।



ग्रोपीसी(ले-आउट प्लान)की 27वीं बैठक दिनांक 24-7-02
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम
2. योजना का नाम
3. ग्राम का नाम व खसरा नं०
4. सैक्टर नंबर जौन बी-5

विषय:- पृथ्वी राज नगर योजना में दुकानों के क्षेत्र को
आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित करने आवासीय के
संबंध में ।

वरिष्ठ नगर नियोजक {प्रोजेक्ट} द्वारा समिति के समक्ष
एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् दुकानों के क्षेत्र
को आवासीय में परिवर्तन करने संबंधी आवेदन को निरस्त करने का
निर्णय लिया गया ।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...27वीं...बैठक दिनांक...24-7-02

का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम
2. योजना का नाम
3. ग्राम का नाम व खसरा नं०
4. सेक्टर नंबर जोन B-5

विषय: अपोलो नगर हाउसिंग को.ओ.सोसायटी की योजना
विश्वेसरिया नगर में गोपालपुरा बाईपास पर व
त्रिकेणी नगर मोड पर अनुमोदित की गई दुकानों को
निरस्त करने बाबत ।

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया
गया । पूर्व में भवन मानचित्र समिति की बैठक सं. 02/2001 दिनांक
6-1-2001 में विश्वेसरिया नगर योजना के व्यावसायिक भू. 22 से
33, 33ए व 33बी कुल 14 भूखंड स्वीकृत किए गये थे । मौके पर उक्त
भूखंड खाली है जोन द्वारा भू.सं. 23 से 28 के पट्टे जारी किए हुए
है । समिति ने विचार विमर्श के दौरान पाया कि इन भूखंडों के
कारण यातायात में बाधा उत्पन्न होती है तथा रेल्वे ओवर ब्रिज
का ढलान होने के कारण इस क्षेत्र में दुर्घटनाएँ होने की संभावना है
इसलिए समिति ने भू.सं. 22 से 33, 33ए व 33बी को अस्वीकृत करने
का निर्णय लिया गया ।



भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की 27वीं बैठक दिनांक 24-7-2002 को प्रातः 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई,जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री अशोक तंवर, विधायक सदस्य
2. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य सदस्य
3. श्री रोहित कुमार, सचिव, जविप्रा,जयपुर। सदस्य
4. श्री हेमन्त मुरडिया, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर। सदस्य
5. श्री ओ.पी. यादव, अति.आयुक्त(भूमि)पश्चिम,जविप्रा,जयपुर। सदस्य
6. श्रीमती शुचि शर्मा, अति.आयुक्त(भूमि)पूर्व,जविप्रा,जयपुर। सदस्य
7. श्री ए.एन.भार्गव,वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) सदस्य सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री पी.अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लवंग शर्मा,वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
3. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक(बीपीसी)जविप्रा, जयपुर।
4. श्री मुकेश मित्तल, उप नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,जयपुर।
5. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
6. श्री गिरिराज अग्रवाल,उपायुक्त जोन ए-1, जविप्रा,जयपुर।
7. श्री सुनील भाटी,उपायुक्त जोन बी-2,जविप्रा,जयपुर।
8. श्री विजयपाल सिंह, उपायुक्त जोन बी-3, जविप्रा,जयपुर।
9. श्री पवन कुमार जैन, उपायुक्त जोन बी-5, जविप्रा,जयपुर।
10. श्री श्रीपाल शर्मा, उपायुक्त जोन बी-6, जविप्रा,जयपुर।
11. श्री हनुमान सिंह शेखावत,उपायुक्त जोन बी-7, जविप्रा,जयपुर।
12. श्री पी.सी. गुप्ता, उपायुक्त जोन सी-3, जविप्रा,जयपुर।
13. सहायक नगर नियोजक, जोन ए-1, जविप्रा, जयपुर।
14. सहायक नगर नियोजक, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर।
15. सहायक नगर नियोजक, जोन बी-3, जविप्रा, जयपुर।
16. सहायक नगर नियोजक, जोन बी-5, जविप्रा, जयपुर।
17. सहायक नगर नियोजक, जोन बी-6, जविप्रा, जयपुर।
18. सहायक नगर नियोजक, जोन बी-7, जविप्रा, जयपुर।
19. सहायक नगर नियोजक, जोन सी-3, जविप्रा, जयपुर।